# आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

## परमिट फार्म

## (12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या. 2002/बी.एफ.एस./03/12–13

दिनांक 28/5/14

सेवा में,

श्री केशव सिंह व श्री रितेश कुमार सिंह
डायरेक्टर, श्री गोकुल इन्फ्रा प्रमोटर्स प्रा0 लि0 व पार्टनर एस0 आर0 एण्टरप्राइजेज
निवासी–ग्राम व पोस्ट–पथौली, आगरा।

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड, खसरा संख्या–244 व 246, मौजा–पथौली, आगरा में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:–

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संबंधित भूगृह में किसी प्रकार का स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप मे हों, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निमार्ण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीम प्रथक स्वीकृत अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिमिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्यजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहाँ पर विधुत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0प्र0 विधुत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्राविधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

**संलग्नः स्वीकृति मानचित्र**

भवदीय

28/5/2014

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

संख्या.................................तद दिनांक

**प्रतिलिपिः–**

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0..............................दिनांक..............................के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रर्वतन अनुभाग को सूचनार्थ।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा